

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(7)नविवि/3/2020

जयपुर, दिनांक 18 JUN 2021

आदेश:-

एकीकृत भवन विनियम 2017 के नियम 7.2 के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी की द्वितीय बैठक द्वारा जारी विभागीय पत्र क्रमांक प.18(12)नविवि/जयपुर/2018 दिनांक 31.07.2019 के अनुसार अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) के संबंध में लिये गये निर्णय/अभिप्राय के क्रम में नगरीय निकायों/विकास प्राधिकरण/विकास न्यास स्तर पर जमा करवायी जाने वाली राशि के स्थान पर निर्देशानुसार निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के अधीन एक पृथक ब्याज सहित केन्द्रीकृत खाता Dedicated Account Axis Bank में खोला गया है, जिसका खाता संख्या 919010091350994 है। यह खाता निदेशक एवं संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा। साथ ही पूर्व में प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास में जमा फायर सैस राशि को उक्त नगरीय निकायों में स्थानान्तरित कराने का श्रम करावें।

अतः आप अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को उक्त खाते में जमा कराने की सुनिश्चितता करावें।

(मनीषा धियल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
5. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
6. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम